

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

पीठासीन अधिकारी:- कैलाश चन्द गुर्जर, उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा
प्रकरण संख्या- 15/2022 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा.ले.रे.एक्ट
बद्रीलाल पिता श्री गोपीलाल मीणा, जाति मीणा, आयु बालिग, पेशा काश्त, निवासी बड़ौदिया,
तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़।

.....प्रार्थी

विरुद्ध

1. अख्तर हुसैन पिता शौकत हुसैन जाति नीलगर निवासी बड़ौदिया तहसील रावतभाटा।
2. आबिद पिता शौकत हुसैन जाति नीलगर निवासी बड़ौदिया तहसील रावतभाटा।
3. अमाना पुत्री शौकत हुसैन जाति नीलगर निवासी बड़ौदिया तहसील रावतभाटा।
4. कनीज बेगम पत्नि शौकत हुसैन जाति नीलगर निवासी बड़ौदिया तहसील रावतभाटा।
5. मोहम्मद पुत्र दीन मौहम्मद जाति नीलगर निवासी बड़ौदिया तहसील रावतभाटा।
6. शब्बरी पत्र शौकत हुसैन जाति नीलगर निवासी बड़ौदिया तहसील रावतभाटा।
7. शहजाद पुत्री शौकत हुसैन जाति नीलगर निवासी बड़ौदिया तहसील रावतभाटा।
8. जरिये भूमिधारी तहसीलदार साहब रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़।

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम
अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से :- श्री बलवीर सिंह, विशाल सिंह।

दिनांक:- 31/03/2022

-:आदेश:-

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम मौजा बड़ौदिया, तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076-79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसकी खतोनी संख्या 131 खंसरा सं. 100 रकबा 1.74 है 0 लगानी 8.70 रुपये प्रार्थी के नाम पर सहखातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थी के सहखातेदारी एवं कब्जेकाश्त की हैं जिसकी पत्थरगढी करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र द्वारा निवेदन किया कि खंसरा सं. 100 के पड़ौसी खातेदार व प्रार्थी के बीच कृषि आराजीयात पर आये दिन सीमाओं को लेकर विवाद होता रहता है। प्रार्थी ने निवेदन किया है कि प्रार्थी की सहखातेदारी की आराजीयात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराये जावे। प्रार्थी की ओर से आराजीयात जैर बहस की नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रैस प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थी को सुना तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किया- प्रार्थी उक्त आराजीयात जैर बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजीयात जैर बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है।

पत्रावली पर दिनांक 16.03.2022 को अप्रार्थी सं. 1 से 7 के विरुद्ध न्यायालय में अनुपस्थित रहने पर एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गये। पत्रावली पर परोकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रकरण में दिनांक 31.03.2022 को जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र पर सहमति व्यक्त की गई। पत्रावली पर उभय पक्ष को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया।

अतः तहसीलदार रावतभाटा को प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि मौजा बड़ौदिया, तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076-79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसकी खतोनी संख्या 131 खंसरा सं. 100 रकबा 1.74 है 0 लगानी 8.70 रुपये प्रार्थी के नाम पर सहखातेदारी हक दर्ज रिकार्ड की फरिकेन मुकदमा को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार बिना कब्जे में दखल दिये नपती की जाकर सही सीमा चिन्ह स्थापित किये जाने हेतु पत्थरगढी की जावे एवं मौके पर कोई विवाद हो तो पुनः न्यायालय में पेश करें। पर्चा मौका एवं मौका ट्रैस 15 योम में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे। कमिश्नर फीस 1000/-रुपये अक्षरे एक हजार रुपये प्रार्थी से वसूल किये जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर जा.दी. दायरी रजिस्टर नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।

यह निर्णय आज दिनांक 31.03.2022 को खुले न्यायालय के इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़